जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 20.10.2024

दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना महुली पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता गोपाल पाण्डेय पुत्र नकछेद पाण्डेय निवासी भिनखिनी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।** को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह, का0 राघवेन्द्र यादव,का0 रणजीत कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3303 द्वारा दो पक्षो में मारपीट/विवाद होने के कारण 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–
पीआरवी 3303 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत व्यारा से इवेंट सं0 47055 से कालर से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट/विवाद होने के कारण 03 व्यक्तियों (01- अमित पुत्र सुरेश चन्द्र ग्राम व्यारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02- सुरेश पुत्र स्व मोहन चन्द्र ग्राम व्यारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 03- इसरावति पत्नी सुरेश चन्द्र ग्राम व्यारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
***पीआरवी स्टाफ-* का0 विजय प्रताप यादव, हो0चा0 सूर्यनाथ मौर्या।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 54 वाहनों से 64,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 54 वाहनों से 64,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 320/2024 धारा 137(2), 87, 64(2)ड,351(3) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता उमेश उर्फ ध्रुवचन्द्र पुत्र लालजी निवासी कुसम्हा माफी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 20.10.2024 को गौहनिया माफी नाला के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 19.10.2024 को थाना बखिरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म कारित करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गौहनिया माफी नाला के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, का0 बाल गोविन्द, का आशु यादव।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 03 स्थानों पर लगवाये गये 34 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 20.10.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 03 स्थान पर 34 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 28 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।